

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

### —: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 116...../भू अ०

दिनांक : 6/2/18

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-खपचुआ नवाकुरुवा, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-875, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-खपचुआ नवाकुरुवा, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-875, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 7.335 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	572	रैयती	धानी-3	0.22	शोभाकर किस्कु वो बिक्रम किस्कु पे० स्व० लाल किस्कु वो सुरेश किस्कु वो कालीचरण किस्कु पे० स्व० पंडरा किस्कु वो दिलीप किस्कु पे० स्व० चरण किस्कु वो मंगल किस्कु माता स्व० सुरजमुनी किस्कु वो बिटिया मराण्डी पति स्व० कलिया मूर्मू।				
2	3	633	रैयती	धानी-1	0.01	तथैव।				
3	3	639	रैयती	धानी-2	0.13	तथैव।				
4	3	642	रैयती	धानी-3	0.025	तथैव।				
5	3	643	रैयती	धानी-1	0.10	तथैव।				
6	3	646	रैयती	धानी-3	0.06	तथैव।				
7	3	650	रैयती	धानी-1	0.41	तथैव।				
8	3	653	रैयती	धानी-1	0.03	तथैव।				
9	3	656	रैयती	धानी-1	0.43	तथैव।				
10	3	725	रैयती	धानी-3	0.06	तथैव।				
11	3	573	रैयती	धानी-3	0.14	नाचन किस्कु वो लुखी किस्कु पे० स्व० रघु किस्कु वो टेनरे किस्कु वो जगदीश किस्कु वो मताल किस्कु वो रूपलाल किस्कु वो सुखलाल किस्कु पे० स्व० बबुआ किस्कु वो लखीराम किस्कु वो बिहारी किस्कु वो देवीलाल किस्कु पे० स्व० रूसन किस्कु वो सुकरमुनी टुडू पति स्व० छोटेलाल किस्कु।				
12	3	579	रैयती	धानी-3	0.11	तथैव।				
13	3	593	रैयती	धानी-2	0.005	तथैव।				
14	3	635	रैयती	धानी-2	0.10	तथैव।				
15	3	641	रैयती	धानी-1	0.05	तथैव।				
16	3	645	रैयती	धानी-1	0.08	तथैव।				
17	3	654	रैयती	धानी-1	0.14	तथैव।				



18	3	655	रैयती	धानी-1	0.11	तथैव।				
19	3	724	रैयती	धानी-3	0.06	तथैव।				
20	3	580	रैयती	धानी-2	0.08	बबलू किस्कु पिता स्व० किसुन किस्कु वो महालाल किस्कु वो मनीलाल किस्कु पे० स्व० देवान किस्कु।				
21	3	636	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव।				
22	3	640	रैयती	धानी-1	0.20	तथैव।				
23	3	644	रैयती	धानी-1	0.10	तथैव।				
24	3	651	रैयती	धानी-2	0.015	तथैव।				
25	3	652	रैयती	धानी-1	0.25	तथैव।				
26	3	657	रैयती	धानी-3	0.065	तथैव।				
27	3	722	रैयती	धानी-3	0.11	तथैव।				
28	3	723	रैयती	धानी-3	0.06	तथैव।				
29	4	564	रैयती	गड़िया	0.25	शोभाकर किस्कु वो बिक्रम किस्कु पे० स्व० लाल किस्कु वो सुरेश किस्कु वो कालीचरण किस्कु पे० स्व० पंडरा किस्कु वो दिलीप किस्कु पे० स्व० चरण किस्कु वो मंगल हेम्रम माता स्व० सुरजमुनी किस्कु वो बिटिया मराण्डी पति स्व० कलिया मुर्मू।				
30	4	565	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
31	4	567	रैयती	धानी-3	0.76	तथैव।				
32	4	649	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
33	4	658	रैयती	धानी-3	0.005	तथैव।				
34	4	731	रैयती	धानी-3	0.47	तथैव।				
35	4	732	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।				
36	5	726	रैयती	धानी-1	0.055	मोसो किस्कु वो रामलाल किस्कु पे० स्व० बाबुलाल किस्कु वो कारु किस्कु पे० स्व० सोमरा किस्कु वो शिबु किस्कु वो मोहन किस्कु वो महाशय किस्कु वो सोमलाल किस्कु पे० स्व० मंगल किस्कु वो शिवलाल किस्कु पे० स्व० सुखु किस्कु।				
37	5	728	रैयती	धानी-2	0.075	तथैव।				
38	5	729	रैयती	धानी-1	0.035	तथैव।				
39	6	730	रैयती	धानी-2	0.09	मु० जसमी बास्की (पर्चाधारी रैयत)।				
40	7	749	रैयती	धानी-3	0.115	विशेश्वर राय पे० स्व० बीरबल राय वो फुलेश्वरी देवी पति स्व० हरि राय वो श्री कान्त राय पे० स्व० सुगदेव राय।				
41	13	748	रैयती	धानी-3	0.405	भोला राय वो विष्णु राय वो महेश राय पे० स्व० मकसुदन राय वो दशरथ राय वो सत्यनारायण राय पे० स्व० पैतर राय वो गणेश राय पे० स्व० बासो राय वो बलदेव राय पे० स्व० बुधु राय वो सुरिया देवी पति स्व० मानकी राय वो महावती देवी पति स्व० हीरा राय वो महाबीर राय पे० बुधु राय।				
42	13	750	रैयती	धानी-3	0.07	तथैव।				
43	13	755	रैयती	बाड़ी-2	0.14	तथैव।				
44	13	770	रैयती	बाड़ी-2	0.44	तथैव।				
45	15	735	रैयती	धानी-3	0.02	भोला राय वो विष्णु राय वो महेश राय पे० स्व० मधु सुदन राय वो वासदेव राय पे० स्व० अधु राय।				




46	15	737	रैयती	बाड़ी-2	0.26	तथैव।
47	17	581	रैयती	धानी-3	0.58	तारणी राय वो रामचन्द्र राय पे० स्व० शिवराय वो बालेश्वर देवी पति स्व० कमल राय वो नुनुलाल राय पे० स्व० बुधु राय।
48	17	746	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव।
49	17	747	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव।
50	17	751	रैयती	धानी-3	0.005	तथैव।
51	17	756	रैयती	बाड़ी-2	0.005	तथैव।
52	17	582	रैयती	धानी-2	0.14	रतु राय पे० स्व० सोखी राय वो खीरो राय वो बीरो राय वो राम राय पे० स्व० समल राय।
53		717	रैयती		0.005	मुस्तवाहा।
54		721	रैयती		0.015	मुस्तवाहा।
कुल रकवा-					7.335	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
5/2/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक .....116...../ भू अ0, देवघर, दिनांक 6/2/18.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघरको सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
5/2/18  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।